स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

जेपीडी–6/488

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः विद्युत भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

टेलीफोन/फैक्सः 0141-2747039

वेबसाईटः– www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl ईमेलः caorb@jvvnl.org

प्रभासिम शशि सूर्ययोः

क्रमांकः जे.पी.डी./मु.ले.अ (रा.व एवं बि.)/राज./पत्रा. 728/प्रे.856 जयपुर, दिनांकः 22/10/2018

परिपत्र

ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 7(22) ऊर्जा/2016 दिनांक 05.10.2018 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियमित टैरिफ सब्सिडी के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं (Block supply- Rural) द्वारा अपने स्तर पर वहन की जाने वाली विद्युत बिलों की राशि के पुनर्भरण (अधिकतम 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (DBT) के अंतर्गत कुछ शर्तों के अधीन किया जाना है। इस योजना के कियान्वयन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 852 दिनांक 16.10.2018 (जेपीडी – 6/487) की निरंतरता में यह निर्देश दिये जाते हैं कि फीडर इंचार्ज जिन कृषि उपभोक्ताओं के बैंक खातों के विवरण किन्हीं कारणों से एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं अथवा सम्बन्धित उपभोक्ता वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवा रहे है ऐसे उपभोक्ताओं से संबंधित रिमार्क कॉलम में कोड 3 दर्ज किया जायेगा एवं संदर्भित आदेश के निर्देश संख्या 4 के अनुसार ही ऐसे सभी कृषि उपभोवताओं को बिलिंग माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2018 में जारी बिल राशि में सब्सिडी का पुनर्भरण उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) योजना के अंतर्गत नहीं किया जाएगा अपितु विद्युत बिलों में ही समायोजित कर दिया जाएगा। बिलिंग एजेन्सी, यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र कृषि उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा देय अनुदान राशि (DBT योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि को सम्मिलित करते हुए) उसकी बिल राशि में से समायोजित करते हुए भुगतान हेतु देय राशि का बिल जारी किया जायेगा।

(एम. एस. पालावत)
निदेशक (वित्त)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (   ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, ...।
2. मुख्य लेखाधिकारी (   ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
3. अधीक्षण अभियन्ता (   ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,.....................................।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (   ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,...........................।
5. निजी सहायक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त/तकनीकी), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
6. मै. बी.सी.आई.टी.एस. जी. 19–20 मैट्रोपोलिस टावर, अजमेर रोड़, जयपुर।

व. लेखाधिकारी (रा. एवं बिलिंग)

Scanned by CamScanner